राजस्थान – सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू

मु0नं0 492 / 2016 आदेश दिनांकः 02.01.2025

अनुवानी

जाबिद बनाम सलीम आदि

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व सपठित धारा 151 सी.पी.सी.

आदेश

प्रतिवादी संख्या 03 मोहम्मद जुबेर की ओर से प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निम्नानुसार निवेदन किया

1. उपर्युक्त अनुवानी वाद न्यायालय श्रीमान् के समक्ष जेरकार है। इस वाद के वादी मोहम्मद जाबिद न्यायालय के समक्ष दिनांक 11.09.2024 को उपस्थित होकर प्रस्तुत साक्ष्य में प्रतिपरीक्षा के दौरान दी गई स्वीकृति के आधार पर दावे की पत्रावली पर Subsequent events के उत्पन्न होने के कारण पर पुनः प्रार्थना–पत्र सविनय अर्ज है

(क) वादी मोहम्मद जाबिद व्यायालय श्रीमान् के समक्ष दिनांक 11.09.2024 को उपस्थित होकर अपने साक्ष्य की प्रतिपरीक्षा के दौरान स्वीकृति के माध्यम से कथन करता है। कि उसके दावे का मुख्य अनुतोष प्रतिवादी संख्या 03 मोहम्मद जुबेर के पक्ष में विवादत उपहार–पत्र दिनांक 03.07.2018 को शुन्य व निष्प्रभावी करवाये जाने का है। जिसे श्रीमान् न्यायालय से ही शुन्य व निष्प्रभावी घोषित करवाना चाहता है। जबकि कानूनन पंजीकृत उपहार–पत्र को शुन्य व निष्प्रभावी घोषित करने की क्षेत्राधिकारिता राजस्व न्यायालय को नहीं बल्कि सिविल न्यायालय को है। इसलिये वादी द्वारा प्राप्त अनुतोष जिसको प्रदान करने हेतु राजस्व न्यायालय सक्षम ही नहीं है ऐसी स्थिति में राजस्व न्यायालय का क्षेत्राधिकारिता के अभाव में दावा आदेश 07 नियम 11 (डी) में खारिज किये जाने योग्य है।

(ख) यहकि वादी ने यह वाद अस्वच्छ हाथो से अपने परिवार के सगे भाई व बहिन को छिपाकर दावे में कहीं भी इस बाबत उल्लेख नहीं करते हुये कि उसके एक बहिन समरीन जिसको मैनाज भी कहते है के अलावा एक भाई मोहम्मद आदिल और था जिसकी मृत्यू हो चूकी है और उसके नाबालिग बच्चा भी है उनको दावे में जानबुझकर पक्षकार भी नही बनाया जाना अपने कथनो में स्वीकार करने से वादी का वाद कुंसंयोजन व असंयोजन के आधार पर आधारित वाद होने से वादी ने जानबुझकर न्यायालय के समक्ष दावे में तथ्यों को छिपाकर अपना गलत रूप से 2/3 हिस्सा बताकर वाद संस्थित किया है जो खारिज किये जाने योग्य है।

(ग) वादी से इस वाद के अतिरिक्त इसी वादगत कृषि भूमि में एक अन्य दावा संख्या 02/2020 अनुवानी अफरीन बानो आदि बनाम मोहम्मद जुबेर आदि श्रीमान् न्यायालय में संस्थित किया गया थ। उसकी वादीनी के अफरीन बानों के साथ वादीगण मोहम्मद जाबिद मोहम्मद समीर भी वादी संख्या 05 व 06 रहे है। उक्त वाद को प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी को आधार पर श्रीमान् न्यायालय द्वारा दिनांक 12.10.2022 को आरिज कर दिया जा चूका है [illegible] स्वीकृति भी वादी अपनी प्रतिपरीक्षा में exD1 दावा संख्या 02/2020 की प्रमाणि[illegible] प्रति [illegible] exD2 आदेश दिनांक 12.10.2022 जिससे दावा खारिज किया [illegible] करवाई जाकर स्वीकृति प्रदान करता है। इस प्रकार [illegible] से स्वीकृति प्रदान कर[illegible] यह स्वीकृति वादी के विरुद्ध पूर्णतया लेखबद्ध प्रमाणित हो[illegible] वादी का वाद खारिज[illegible] जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:25:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

(घ) यहकि वादी मुस्लिम धर्म का अनुयायी है और मुस्लिम विधि के अनुसार एक जीवित व्यक्ति का कोई उत्तराधिकारी नहीं होता है। जिससे किसी प्रत्यक्ष या भावी उत्तराधिकार या कोई ऐसा उत्तरभोगी हित नहीं होता है। इसके अलावा हिन्दु विधि को विपरित मुस्लिम विधि के अर्न्तगत पैतृक और स्वअर्जित सम्पति के बीच भेद है। जहां एक मुस्लिम को प्राप्त सभी सम्पति चाहे वह उसके स्वंय के द्वारा अर्जित की गई हो या विरासतन प्राप्त हो उसकी व्यक्तिगत सम्पति मानी जावेगी यानि पिता दादा को प्राप्त सम्पति यदि उनके द्वारा अपने जीवनकाल में ही किसी भी प्रकार से रहन बय या मुंतकिल उपहार विक्रय कर दे तो उसके पुत्र पौत्रो को सम्पति विरासतन प्राप्त होने के आधार पर दावा लाने का अधिकार हासिल नहीं है। परन्तु इन सब के बावजूद वादी अपने वाद–पत्र के माध्यम से वादगत सम्पति को पैतृक होनी स्वीकार करके उसमें अपना हिस्सा जन्म से मानकर दावे के माध्यम से वावगत कृषि भूमि की बाबत वादी के पिता द्वारा किये गये उपहार–पत्र को निरस्त करवाये जाने का दावा किया है। इस प्रकार कानूनन वादी का दावा चलने योग्य नहीं अपितु खारिज किये जाने योग्य है।

(घ) वादी के द्वारा साक्ष्य से पूर्व भी एक प्रार्थना–पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी में संस्थित किया गया था। जिस प्रार्थना–पत्र को इस विवेचना के साथ कि प्रार्थना–पत्र के तथ्य विधि व साक्ष्य को मिश्रित प्रश्न है जिसको साक्ष्य के पश्चात् निर्णित किया जा सकता है कहकर खारिज किया गया था। अब चूंकि जब साक्ष्य के द्वारा स्पष्टतया चादी द्वारा अपने कयनो से प्रतिपरीक्षा (जिरह) के दौरान स्वीकृति दिये जाने के कारण पत्रावली पर दिनांक 11.09.2024 से Subsequent event के उत्पन्न होने के आधार पर उचित न्याय शुल्क के साथ प्रार्थना–पत्र संस्थित किया जा रहा है। अतः प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अर्न्तगत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के जवाब में प्रतिवादी संख्या 03 की ओर से जवाब निम्नानुसाद दिया गया है।

1– यह कि दरख्वास्त को मद संख्या 01 में दर्ज तथ्यों में से इस अनुवान का दावा पेश होना स्वीकार है, मर हाजा में अन्य इसे तमाम तय गलत बयानी होने से स्पष्टतया इन्कार किये जाते हैं।
(क) दरखवास्त की मद सं. (क) में दर्ज तमाम तथ्य गलत बयानी होने से स्पष्टतया इंकार किए आते है। वादी द्वारा इस दावा को माननीय न्यायालय के के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार में पेश किया गया है। किसी भी दस्तावेज को जी शून्य ab inicio void है उसे घोषित करवाने की क्षेत्राधिकारिता माननीय न्यायालय की ही प्राप्त है।
(ख) यह कि दरखवास्त की मद सं. (ख) में दर्ज तमाम तथा गलत बयानी होने से स्पष्टतया इंकार किए जाते हैं। किसी भी प्रतिवारी को अपने जबाब दावा की प्रतिरक्षा के आधार पर आदेश 07 नियम 11 जाब्ता दिवानी की दरख्वास्त पेश करने का कानूनी अधिकार नहीं है।
(ग) कि दरख्वास्त की मद सं. (ग) में दर्ज तथ्यों में से आदेश 07 नियम 11 जा.दी. की दररखास्त दिनाव 25.09.19 को [illegible]ही है। मद हाजा में अन्य दर्ज तमाम तथ्य आदेश 7 नियम 11 जा. दी. [illegible] के मुताबिक कोई इतेफाक नहीं रखते हैं। प्रतिवादी द्वारा जब पू[illegible] नियम 11 जा.दी. में पेश की जा चुकी है ओर वह इसी [illegible] की जा चुकी है तो Res judicata का सिद्धान्त लागु होता है प्रतिवादी दूसरी दरख्वा[illegible] पेश करने में कतई कानूनी रूप से सक्षम नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:25:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

(घ) दरख्वास्त मद संख्या (घ) मैं दर्ज तमाय तथ्यों का निर्णय विवाद्यकों के आधार पर पक्षकारों की साक्ष्य के बाद तय होने हैं। मद दावा (घ) में दर्ज तमाम तथ्य आदेश 7 मिलम 11 जाब्दा दी की दरख्वास्त से Relevant facts नहीं है।

(घ) दरख्वास्त की मद सं. (घ) (दुबारा दर्ज) में दर्ज तमाम तथ्यों में से आदेश 07 नियम 11 जा.दी. की दरख्वास्त पूर्व में खारिज की जा चुकी है। उन्हीं तब्यों के आधार पर दूसरी दरख्वास्त कानूनी रूप से से पेश नही की जा सकती

अतः जबाब दरख्वास्त पेशकर निवेदन है कि प्रतिवादी की उक्त दरख्वास्त मय हर्ज एवं खर्चे खारिज फरमाई जावे।

जवाब प्रस्तुत किये जाने पर अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी गई बहस में अधिवक्ता उभय पक्ष ने प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दाहराते हुए प्रार्थना–पत्र व जवाब प्रार्थना–पत्र के समर्थन में में निम्न दृष्टान्त पेश किये

प्रतिवादी की ओर से निम्न दृष्टान्त पेश किये गये।

1. the muslim personal law ablication 1937 law section 02 of the person law has declared void by the suprecourt 2019

the court has declared section 2 of the mulim personal law application act, 1937 to be void to the extent indicated avove on the narrower ground of it being manifesty arbitrary.

2. bord of revenue for rajasthan ajmer rrt 2017(2) husain vs smt Ruksana etc. revision no 5582/silemo of 2016 decision on 15 th February 2017

Code of civil procedure 1908 order 7 rule 11(d) Rejection of plaint being bared by law- Application rejected- suit filed fore share in the ancestral land on the basis of right since birth- No concept of the ancestral property in muslim law- plaintiff R was not entitled to any relief in the life time of the father- suit was barred by law- held, order is not sustainable and set aside and laint is rejected.

3. Rajasthan high court sb civil revision pt. No. 72/2019 decided on 09/03/2021 maniram and others vs mamkori and others

Procedure code 1908 – o7 r 11 rejection of plaint application rejected suit for cancellation of sale deed as void relief of cancellation of voidable document can be granted only by the civil court – held. No illegality in the oreder and upheld

अधिवक्ता वादी की ओर से निम्न दृष्टान्त पेश किये गये।

1. मुस्लमानों के लिए स्वीय विधि का लागू होना – निर्वसीयती उतराधिकार, स्त्रियों की विशेष सम्पति, जिसमें विरासत में मिली या संविदा या दान या स्वीय विधि [illegible] हुई स्वीय संपति आती है, विवाह, विवाह–विघटन, जिसमें तलाक, इला, जिहार, लियान, [illegible] तथा [illegible]बारात आते हैं,मेहर, संरक्षकता, दान, न्याय–सम्पति और वक्फ (जो पूर्त तथा पूर्त [illegible] भिन्न हों) से सम्बन्धित (कृषि भूमि से संबद्ध प्रश्नों के सिवाय) सभी [illegible] या प्रथा के होते हुए भी, ऐसे मामलों में हजां पक्षकार मुसलमान है, वहां विनिश्चय का नियम मुस्लिम स्वीय [illegible] (शरीयत) होगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:25:08 IST
Reason: SelfAttested

44,

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

2. rlw page no 121 उस्मान गनी बनाम राजस्व बोर्ड (29) – मुस्लीम स्वीय विधि (शरीयत) – धारा 2 तथा राजस्थान टिनेन्सी अधिनियम–धारा 40 को गोद लेने के प्रचलित रीति रिवाज का प्रश्न नहीं उठा, न यह प्रश्न उठाया भी जा सकता है, यह तथ्य परक प्रश्न मात्र है– शरीयत विधि की धारा 2 के अवलोकन क्षेत्र से कृषि भूमि बाहर है।

3. page no 115 supreme court of india decidion date 29-01-2019

civil procedure code 1908 order 7 rule 11 High court allowed the revision and dismissed the suit for want of jurisdiction – Respondent Nos 2 and 3 excuted a gift deed in fovour of the respdent no. 1- applellant filed a civil suit declate the gift deed void to the extent of the share of the plaintiff-appellant also filed a siuit for declaration of khatedari rights and respondent nos 1 to 5 be restrained from alinenating the share of the applellant – Khatedari rigts are yet to be decreed- claimant must first approach the pending for adjudication before a revenue court& applellant has no right to seek relief before the civil court till granting or the khatedari rights- Held, appeal is devoid of merits and dismissed

4. 2022(4) Civil Court cases 132 (s.c.) Supreme Court of india Hemant gupta vs Vikram nath:- Civil procedure code 1908 o.7 r. 11 rejection of plaint- While considering an application u.o.7 r.11 averments in plaint alone are to be examined and no other extraneous factor can be taken into consideration.

5. 2022(4) Civil Court cases 609 rajasthan high court Aditya Jangir vs jays jangid civil revision petion no 38 of 2022, d/22.02.2022 :- :- Civil procedure code 1908 o.7 r. 11 rejection At the time of deciding application u.o.7 r. 11 only averments made in the plaint and documents annexed with plaint are required to be considered.

6. 2021(4) civil court cases 051 (p&) Punjab & Haryana High court jasgurpreet singh p0uri. J cr no. 819 of 2021 (O&M), D/23.04.2021 balraj singh & ors. Vs Banwari Lal & ors.

Civil Procedure Code, 1908, o.7r.11 – Rejection of plaint Barred by res judicata earlier suit for permanent injuction – prese3nt suit for declaration fot the effect that plaintiff is exlusive owner in possession – In the earlier suit no finding recorded regarding ownership it was not an issue in that suit- It is a mixed question of law and fact – plaint cannot be rejected at the threshold- application dismissed.

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:25:08 IST
Reason: SelfAttested

वादी ने जो वादपत्र प्रस्तुत किया है, उसमें कई कानूनी मुद्दे और तथ्यों का जिक्र किया गया है, जिनमें वादी और प्रतिवादी के बीच भूमि के अधिकार, मुस्लिम विधि के अनुसार संपत्ति के अधिकार,

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

और प्रार्थना–पत्रों की वैधता पर चर्चा की गई है। यहाँ वादी द्वारा अपने दावे को सही ठहराने के लिए और प्रतिवादी द्वारा किए गए उत्तर का विश्लेषण किया गया है।

प्रतिवादी के दावे के मुख्य बिंदु

1.राजस्व न्यायालय की अधिकारिताः प्रतिवादी का कहना है कि उपहार–पत्र (Gift Deed) को शून्य घोषित करने का अधिकार सिविल न्यायालय के पास है, न कि राजस्व न्यायालय के पास।

2.स्वयं की संपत्ति का प्रतिवादी ने यह दावा किया कि उसकी संपत्ति पैतृक है और वह इसका हिस्सा होने का दावा करता है, जो मुस्लिम कानून के अनुसार सही नहीं है क्योंकि मुस्लिम कानून में पैतृक संपत्ति का कोई सिद्धांत नहीं है।

3.पूर्व में खारिज किया गया दावाः प्रतिवादी का यह भी कहना है कि उसने पहले भी एक दावा दायर किया था जो खारिज हो चुका है, और फिर से उसी आधार पर दावें को प्रस्तुत करना उचित नहीं है।

4.कानूनी अधिकार का अभावः वादी का कहना है कि यदि वह अपना दावें करने के लिए उचित कानूनी अधिकार नहीं रखता है, तो उसकी याचिका को खारिज किया जाना चाहिए ।

वदी की ओर से कथन किया गया है कि

1. दावा पूर्ण डिक्री होकर खारिज नहीं हुआ है अत res judicata लागु नहीं होगा।
2. सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (CPC) का आदेश 7, नियम 11 (क): इस नियम के तहत यदि किसी दावे को कानूनी दृष्टिकोण से अस्वीकार्य माना जाता है, तो उसे खारिज किया जा सकता है। इसमें यह भी है कि यदि किसी दस्तावेज के आधार पर दावें का निरस्त होना जरूरी है, तो उसे न्यायालय द्वारा ही निस्तारित किया जाएगा।
3. कृषि क्षेत्र में मुस्लिम सवीय विधी 1973 लागू नहीं होगी।
4. राजस्थान उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के फैसलेः प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत कुछ फैसले इस बात को दर्शाते हैं कि यदि भूमि के अधिकारों पर विवाद है, तो राजस्व न्यायालय का क्षेत्राधिकार है, और सिविल न्यायालय को इन मामलों में न्यायाधिकार नहीं है।

निष्कर्षः

इस मामले में कई महत्वपूर्ण कानूनी पहलू हैं। वादी का दावा राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार को चुनौती देता है, लेकिन उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों के आधार पर यह सिद्ध होता है कि भूमि संबंधित विवादों को पहले राजस्व न्यायालय में ही निस्तारित किया जाना चाहिए। यदि वादी की याचिका के तथ्यों में कोई गड़बड़ी या गलत बयानी है, तो यह भी खारिज किए जाने का आधार है।

वादी को अपनी याचिका में दिए गए तथ्यों की सत्यता और कानूनी अधिकारिता पर पुनः विचार करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह सही न्यायालय में अपने दावे को प्रस्तुत कर रहा है।

वादी ने जो वाद का विवरण प्रस्तुत किया है, वह एक जटिल न्यायिक मसला प्रतीत होता है जिसमें विभिन्न कानूनी पहलू और बहसें शामि[illegible]च कई मुद्दों पर विचार किया गया है, जिसमें संपत्ति के अधिकार, वसीयत, उपहार[illegible]धता, और मुस्लिम विधि से संबंधित सवाल शामिल हैं। इसके अलावा, [illegible] के तहत वाद की खारिज़गी, क्षेत्राधिकार, और अन्य कानूनी पहलुओं [illegible] है।

इसमें कुछ प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं:

1. वाद की वैधता और खारिज़गी:

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:25:08 IST
Reason: SelfAttested

Ah.

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

वादी ने दावा किया है कि चूंकि विवादित संपत्ति मुस्लिम कानून के तहत व्यक्तिगत संपत्ति मानी जाती है, इसलिए वह अपने पिता के द्वारा किए गए उपहार–पत्र को निरस्त नहीं कर सकता। इसके अलावा, राजस्व न्यायालय इस मामले में क्षेत्राधिकारिता से बाहर है, और इस तरह वाद को सिविल न्यायालय में ही दायर किया जा सकता था। साथ ही, वादी द्वारा दायर वाद में कुछ तथ्य छिपाए गए हैं (जैसे कि परिवार के अन्य सदस्य) और इसलिए यह वाद अनुचित और खारिज किए जाने योग्य है।

2– राजस्व न्यायालय की भूमिका:

यह स्पष्ट किया गया है कि मुस्लिम कानून में पैतृक संपत्ति के अधिकारों के बारे में अलग–अलग प्रावधान हैं। वादी ने यह भी दावा किया है कि राजस्व न्यायालय को उपहार–पत्र को शून्य घोषित करने का अधिकार नहीं है और यह क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय का है।

3– साक्ष्य और स्वीकार्यता:

वादी के साक्ष्य से यह साबित हुआ है कि उसने कुछ विशेष तथ्यों को स्वीकार किया था, जो पहले खारिज हो चुके थे। इस आधार पर, वादी का दावा अब स्थायी रूप से खारिज किये जाने योग्य है।

4– विरासत और मुस्लिम विधि:

मुस्लिम व्यक्तिगत कानून के तहत, किसी जीवित व्यक्ति के उत्तराधिकार का कोई अधिकार नहीं होता। यदि किसी ने अपनी संपत्ति को उपहार या विक्रय के माध्यम से किसी अन्य को दे दिया हो, तो उसके बाद के रिश्तेदारों को दावा करने का अधिकार नहीं होता। यही कारण है कि वादी का दावा कानूनी दृष्टि से कमजोर है और खारिज किया जाने योग्य है।

5– साक्ष्य और न्यायिक पूर्ववृत्त:

दोनों पक्षों ने अपने–अपने दृष्टांत और फैसलों को पेश किया है। उदाहरण के लिए, राजस्थान उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट के कुछ निर्णय जो यह स्पष्ट करते हैं कि एक उपहार–पत्र को निरस्त करने का अधिकार केवल सिविल कोर्ट के पास है, न कि राजस्व न्यायालय के पास।

यह वाद कानून के विभिन्न पहलुओं, विशेष रूप से मुस्लिम कानून, राजस्व और सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार, और वाद की खारिज़गी के आधार पर तैयार किया गया है। वादी का दावा वर्तमान स्थिति में कमजोर प्रतीत होता है, विशेषकर यदि न्यायालय ने पहले ही किसी समान मामले को खारिज किया हो।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाना उचित प्रतित होता है। अतः प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर दावा वादी खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 02.01.2025 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(बिजेन्द्रसिंह)RAS
उपखण्ड अधिकारी,
चूरू

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

Signature Not Verified

Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:25:08 IST
Reason: SelfAttested